

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- विविता-प्रार/नियु प्रको/नियु-2/562/क्रि.नती-2021-22/2021

दिनांक :- 31.12.21

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय) के पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञापित

प्राथमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1986 के अन्वये की अनुसूचित राजस्थान अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु काय अर्थव्यवस्था के निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पर आमन्त्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	विज्ञापन संख्या व दिनांक	क्षेत्र	पद	विज्ञापित पदों की संख्या		कुल योग
				सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा	
01	01/2021-22 दिनांक 31.12.2021	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल-प्रथम	11500	440	11940
02	02/2021-22 दिनांक 31.12.2021	अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल-प्रथम	3500	60	3560
03	03/2021-22 दिनांक 31.12.2021	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल-द्वितीय	13420	440	13860
04	04/2021-22 दिनांक 31.12.2021	अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल-द्वितीय	2580	55	2635
योग				31000	1000	32000

उक्त पदों हेतु इच्छुक आवेदक निम्नानुसार विधित्तित अवधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

1. आवेदन करने की अवधि दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 09.02.2022 के प्रति 12:00 बजे तक रहेगी, उक्त अवधि के उपरान्त सिक स्वतः ही निश्चित हो जायेगा।
2. इच्छुक आवेदक उक्त विधित्तित अवधि में <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSC ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे। विस्तृत विज्ञापित तथा विज्ञापित पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट www.educator.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध है।
3. ऑनलाईन आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पद तथा **विशारदपत्र, अनुसूचित शिक्षाई, मूलपूर्व हीनिक, शिक्षा/प्रतिबन्धता क्षेत्रों** के विज्ञापित पदों हेतु जारी विस्तृत विज्ञापित, राजस्थान पंचायती राज नियम-1986 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की वास्तवता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
4. इच्छुक आवेदक को उसकी योग्यता एवं वास्तवता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पदों की योग्यता एवं वास्तवता होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन पर भ्रमन होगा। **ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
5. विशेषकर विज्ञापित पदों में राजस्थान राज्य के आसित वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण एवं अधिकतम अनु सीमा में सूट देय होगी।
गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी/सदभासी निवासी ही आवेदन करने हेतु काय है।

आवेदन पर ऑनलाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा तथा Editing, गलत सूचना का अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु के लिये कोई प्राथम्यता पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ई-मिड, जन सुविधा केंद्र, स्वयं द्वारा आवेदन पर में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटिलता दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आवेदन शुल्क-

क्र.सं.	विवरण	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग, डीपीलेवल वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के समस्त वर्ग के अभ्यर्थी	100/-
2	राजस्थान राज्य के नाथ डीपीलेवल क्षेत्रों के पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	70/-
3	समस्त विशेष क्षेत्र/अनुसूचित तथा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहस्रिका वर्ग	60/-

नोट-उक्त विज्ञापित शुल्क के अन्वय में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं शुल्क एक बार जमा होने पर वापस नहीं लाई जायेगी।

पुनरीक्षित वेतनमान-2017 के पै-मैट्रिक्स के लेवल-10 के अनुसार 23700 रु. नियत पारिचयिक पर परिवर्तनीय प्रतिभत्ताओं के रूप में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय पैशन योजना एवं अन्य सेवा शर्त लागू होगी।

आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के नार्मल/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।



निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रारि)
राजस्थान बीकानेर